ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.2, April – June,2024/37

''ग्रामीण वंचित मनरेगाकर्मी महिलाओं के सशक्तिकरण में आने वाली बाधाएं एवं निराकरण''

पिंकी, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
प्रोफे0 अर्चना पाठक, शोध निर्देशिका, समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
https://doi.org/10.61410/had.v19i2.187

सारांश :

वैश्विक समाज से लेकर भारतीय समाज तक में आधी आबादी जेंडर की सामाजिक असमानता के चलते आय, सम्पत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, और शक्ति से एक बड़े कालखंड से वंचित है, ग्रामीण भारत इसका सजीव चित्रण है। दुनिया भर के देशों में लोकतंत्रात्रिक मूल्यों के प्रसार के चलते 1975 के दशक में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वैश्विक स्तर से भारतीय स्तर तक अनेकानेक प्रयत्न हुए। इन्हीं में उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज व्यवस्था एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005। इसके द्वारा ग्रामीण वंचित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने और उन्हें राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षमता प्रदान करने का निरन्तर प्रयत्न हो रहा है, यद्यपि इसके समक्ष अनेक बधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत शोध–पत्र में इन्हीं बाधाओं एवं उनके निराकरण की पड़ताल की गयी है।

शब्द संकेत – श्रमिक, सशक्तिकरण, वंचित, गारण्टी, लाभार्थी, ग्रामीणांचल, अवरोधक।

प्रस्तावना :– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ थी जो वर्तमान में लगभग 147 करोड़ हो चुकी है और इसकी 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण भारत का हिस्सा है। जनसंख्या वृद्धि एवं पारिवारिक बंटवारे के चलते घटते जोत के आकार एवं मानसून की निर्भरता के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकुचित होती जा रही है। जिससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी, फलतः पलायन बढ़े हैं। अशिक्षित एवं अकुशल ग्रामीण, वंचनाओं के दंश के लिए विवश हैं। ग्रामीण महिला वंचना वं अर्थाभाव के कारण श्रम साध्य कार्यों के लिए विवशता में आगे आती हैं। गांव से शहरों की ओर पलायन को रोकने, ग्रामीणों को उनके निवास स्थान के आस–पास ही रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण भारत में ढांचागत सुधार, और ग्रामीण पारिवारिक जीवन स्तर को सुधारने एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की अवधारणा के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था की एक योजना के रूप में 5 सितम्बर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरअी अधिनियम के रूप में पारित किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम किया गया। इस अधिनियम को 02 फरवरी 2006 से प्रथम चरण के रूप में 200 ग्रामीण जिलों के कार्यान्वित करने के लिए सूचित किया गया इसके बाद दिनांक 01 अप्रैल 2008 से प्रभावी रूप से महात्मा गांधी नरेगा के तहत् शेष जिलों को अधिसूचित किया गया था। जिससे ग्रीमण वंचित महिलाएं सामाजिक आर्थिक रूप से सशकत हो रही हैं, उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई है, जीवन स्तर में सुधार आया है, पारिवारिक एवं आर्थिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है लेकिन कतिपय बाधाएँ भी सशक्तिकरण के मार्ग को अवरूद्ध कर रही हैं जिसका निराकरण किया जाना अवसंभावी है।

शोध का उद्देश्य :– शोध पत्र में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :–

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम से ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में आने वाली समस्याओं संज्ञान प्राप्त करना।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम से ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर उनके सम्यक निराकरण की खोज करना।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम से ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में आने वाली समस्याओं एवं निराकरणों की खोज के साथ उपयुक्त सुझावों का प्रतिपादन करना।

शोध विधि :– शोध अध्ययन के लिए शोधार्थिनी ने अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया है। इसके अलावा तथ्यों के संकलन के लिए दैव निदर्शन विधि का प्रयोग कर अध्ययन क्षेत्र एवं समग्र का निर्धारण कर, अवलोकन और साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राप्त प्राथमिक एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक समंको का विश्लेषण व निर्वचन किया गया है।

उपकल्पना :– प्रस्तुत शोध पत्र में निम्न परिकल्पना स्थापित की गयी है –

1. महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के प्रति राष्ट्रीय स्तर के 56प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी के सापेक्ष अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं की अशिक्षा के कारण न्यून भागीदारी, कार्यक्रम के लिए आवेदनों की कमी और 15 दिनों के भीतर काम की अनुपलब्धताख जन जागरूकता का अभाव प्रदर्शित करती है।
2. महिलाओं के कार्यशील पर असुविधा, बच्चों की देखरेख की अव्यवस्था, महिला सुरक्षा, कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भत्ते न देने की समस्याएं बनी हुई हैं।
3. यद्यपि लक्ष्य के अनुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम में समय–समय पर अनेक संशोधनों के द्वारा केन्द्र व राज्य स्तरीय प्रयत्न किय जा रहे हैं बावजूद इसके जमीनी धरातल पर इसकी व्यावहारिकता कम ही दिखाई दे रही है।

अध्ययन क्षेत्र एवं समग्र :– अध्ययन क्षेत्र जनपद बस्ती चार तहसीलों बस्ती सदर, हरैया, भानपुर और रूदौली एवं 14 ब्लॉकों (बस्ती सदर, कुदरहा, बहादुरपुर, साउंघाट, रामनगर, सल्टउआ, गोपालपुर, हरैया, विक्रमजोत, कप्तानगंज, दुबौलिया, परशुरामपुर, गौर, और रूधौली) में विस्तारित है। शोधार्थिनी ने इनमें दैव निदर्शन विधि से हरैया एवं भानपुर दो तहसीलों और दोनों तहसीलों के समस्त ब्लॉकों का उसी विधि से हरैया और रामनगर दो ब्लॉक का चयन किया है। हरैया और रामनगर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों से गैर सम्भावना निदर्शन के उ्देश्य पूर्ण पद्धति से तीन–तीन सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान युक्त ग्राम पंचायतों कुल छह ग्राम पंचायतों–बेलभरिया राम गुलाम, बरहपुर, हाँही, खोरिया, धौरहरा, और जोगिया ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। इनमें वे महिलाएं अध्ययन समग्र के रूप में हैं जो ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत हैं। अलग–अलग ग्राम पंचायतों में निर्गत जॉब कार्डो एवं मनरेगा में कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या भिन्न–भिन्न है फिर भी सामनुपातिक रूप से सभी वर्गों से उनके जनसंख्यात्मक अनुपात में प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50 मनरेगा महिला कर्मियों के क्रम में कुल 300 उत्तदात्री मनरेगा कर्मियों को चयनित किया गया है। इस प्रकार कुल 300 उत्तरदात्री महिलाएं अध्ययन समग्र का प्रतिनिधित्व करेंगी।

तथ्य संकलन :– तथ्यों एवं स्रोतों को संकलित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को लिया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक तथ्य स्रोतों के संकलन का आधार अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदात्रियों का साक्षात्कार एवं साक्षात्कार अनुसूची है। प्रस्तुत अध्ययन में आमने–सामने की स्थिति में

उत्तरदाताओं से सूचना एकत्रित की गयी है। प्राथमिक स्रोत के अतिरिक्त इस अध्ययन में प्रयुक्त तथ्यों एवं आँकड़ों का महत्वपूर्ण स्रोत द्वितीयक स्रोत है।

ग्रामीण वंचित मनरेगाकर्मी महिलाओं के सशक्तिकरण में कार्य स्थल की समस्याओं, सुविधाओं के अभाव, मातृत्व भत्ता एवं बेरोजगारी भत्ता, भ्रष्टाचार, फर्जी मस्टररोल, मेटों द्वारा शोषण, न्यून मजदूरी दर, कम कार्यदिववों, मजदूरी का समय से भुगतान से संबंधित बाधाओं से संबंधित तथ्यों को एकत्र कर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

शोध निष्कर्षो के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशिक्तकरण में आने वाली बाधाएं निम्नलिखित हैं –

बाधाएँ –

1. **अशिक्षा –** अध्ययन क्षेत्र की 74.38 प्रतिशत मनरेगाकर्मी उत्तरदात्रियां निरक्षर हैं। जिसके कारण उसमें जागरूकता की कमी है, वह अपने हो रहे शोषण के प्रति सतर्क और सजग नहीं है।
2. **सुविधाहीन कार्यस्थल –** कार्यस्थल पर छाया, पेयजल, बच्चों की देख–रेख के लिए क्रेंच सुविधा एवं प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए लकिन अध्ययन क्षेत्र की 83 प्रतिशत मनरेगाकर्मी उत्तरदात्रियों ने बताया कि सिर्फ पेयजल को छोड़कर कार्यस्थल पर अन्य कोई सुविधाएं नहीं हैं।
3. **भ्रष्टाचार –** अध्ययन क्षेत्र की 72.57 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया है कि जॉब कार्ड एवं मास्टर रोल में अनियमितताएं पाई जाती हैं व्यावहारिक रूप से अधिक कागजी रूप में ज्यादा लोग कार्य करते हैं। इससे वंचित ग्रामीण महिलाएं मनरेगा के लाभ से वंचित हो जाती हैं।
4. **प्रशिक्षण का अभाव–** अध्ययन क्षेत्र की 92.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया है कि उन्हें मनरेगा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, जिससे वह अपनी कार्यक्षमता में कुशलता ला सकें।
5. **सभी को 100 दिनों के कार्यदिवस अनुपलब्धता** – अध्ययन क्षेत्र की महज 10.67 प्रतिशत मनरेगा कर्मी उत्तरदात्रियां ही हैं जिन्हे 75 से 100 दिनों के रोजगार प्राप्त हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जो मनरेगा कर्मी 100 दिनों के रोजगार की इच्छुक भी हैं उन्हें भी 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है।
6. **शिकायत निवारण प्रणाली का कमी –** अध्ययन क्षेत्र की शत प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया है कि समस्याओं की शिकायत निवारण की कोई सम्यक प्रणाली नहीं है। रक्षक ही भक्षक बना है। योजना में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक व्यापक भ्रष्टाचार है। इसीलिए शिकायत निवारण ना कोई व्यवस्था प्रणाली है और ना ही समस्याओं का समुचित समाधान हो पा रहा है।
7. **मजदूरी दर एवं कार्य दिवसों की न्यूनता –** अध्ययन क्षेत्र की 68 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने मनरेगा योजना में निर्धारित मजदूरी दर एवं 100 दिनों के कार्यदिवसों को न्यून बताया है। उनका कहना है कि इतनी मंहगाई में वह अपनी वर्तमान मजदूरी दर से आवश्यकताओं को पूर्ण करने कठिनाई महसूस करती हैं साथ ही 365 दिनों में 100 कार्य दिवस ही पर्याप्त नहीं है।

समाधान :–

1. ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम पंचायत क्षेत्र में निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवहारिक क्रियान्वयन आवश्यक है।
2. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा आदि की व्यवस्था हो। शिशु की देख–रेख के लिए एक महिला श्रमिक की अतिरिक्त ड्यूटी का प्रबंध हो।
3. योग्य एवं इमानदार छवि के अधिकारियों नहीं देख–रेख में कार्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था हो।
4. समय–समय पर मनरेगा कर्मियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, जिससे उन्हें अपने कार्य एवं मजदूरी व भत्तों का स्पष्ट संज्ञान रहे और वह मेटों व अन्य कर्मचारियों के शोषण से स्वयं को बचा सकें।
5. योजना में सभी को 100 दिनों के कार्य दिवसों की गारंटी है कार्य ना मिलने की अवस्था में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।
6. शिकायत निवारण की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित हो जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त निचले स्तर से लेकर के जिले स्तर तक के अधिकारियों की शिकायत की जा सके। यहां भी यह उल्लेखनीय है कि शिकायत निवारण की प्रणाली में शिकायतकर्ता के नाम को गोपनीय रखते हुए निवारण की प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था हो।
7. मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष में दो बार मजदूरी दर की समीक्षा कर महंगाई दर के अनुरूप वृद्धि हो एवं मनरेगा कार्य दिवसों को 100 कार्यदिवसों से बढ़ा कर कम से कम 250 कार्यदिवसों की व्यवस्था हो।

सुझाव –

1. ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम पंचायत क्षेत्र में निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने हेतु प्रौढ़ा शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवहारिक क्रियान्वयन उन्हें साक्षर बनाए जाने पर बल देना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की कमी उनके विकास में सबसे बड़े अवरोधक कार्य कर रही है। अतः सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना कि ग्रामीण अंचलों में लड़कियों की शिक्षा के साथ कोई पक्षपात न होने पाए।
2. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। शिशु की देखरेख के लिए एक महिला श्रमिक की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जानी चाहिए और बच्चों के झूले एवं खेलने का भी प्रबन्ध होना चाहिए।
3. महात्मा गांधी नरेगा के सिद्धान्त में कोई कमी नहीं है परन्तु इसका जिस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है वह प्रक्रिया दोषपूर्ण है। योजना में निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। कई जगहों पर रातों–रात जेसीबी से कार्य कराकर नियमों के विरूद्ध मनरेगा के तहत् उसका पारिश्रमिक भुगतान करा लिया जाता है। इसी तरह मस्टररोल में नामांकित और व्यावहारिक संख्या में अंतर भी भ्रष्टाचार की नजीरें हैं। अतः इस योजना के क्रियान्वयन के भ्रष्टाचार के दोषों को दूर करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
4. मनरेगा को और अधिक प्रभावी तथा परिणाममूलक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जवाबदेही के साथ–साथ ग्राम पंचायतों को उसकी स्थानीय जरूरत के अनुसार कार्य चुनने और इसमें मनरेगा लाभार्थियों को भागीदार बनाने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएं। जिससे

स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ ग्राम पंचायतों की अवस्थापना विकास में सहायता मिल सके।

5. मनरेगा मजदूरों को समय–समय पर शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे अपने को शोषण से स्वयं को बचा सके साथ ही सरकार को किसी सक्षम अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगतियों को रोका जा सकें। यद्यपि मनरेगा अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है फिर भी कुछ राज्यों में इनकी भागीदारी और अधिक तो कही कुछ कम ही है। अतः जिन राज्यों में महिलायें कार्यस्थलों पर सुविधाओं के अभाव में मनरेगा में पुरुषों के समान भागीदारी करने में सक्षम नहीं हैं उन राज्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का व्यापक अभियान शुरू होना चाहिए।
6. मनरेगा अधिनियम एकल महिला श्रमिकों (विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित) के लिए मुख्य जीविकोपार्जन का स्रोत है। इससे प्राप्त होने वाली मजदूरी दर उनके आर्थिक अर्जन का स्रोत है। मनरेगा के तहत् ना सिफ कार्यदिवसों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है अपितु इसके मजदूरी दर में भी वृद्धि की निरंतर आवश्यकता है।
7. मनरेगा के तहत् रोजगार देने मे ंनिवास की जाँच की जाती है। परन्तु भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी घूमंतू जातियाँ एवं जनजातियाँ हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। ऐसे लोग अत्यन्त गरीब होते हैं। यदि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
8. रोजगार सेवक एवं मेटों के द्वारा महिला श्रमिकों के साथ दुर्वहार की घटना देखने को मिलती है और कई बार महिलाओं को उनके ग्रामीण क्षेत्र से बाहर मनरेगा कार्य कराया जाता है। जिससे महिला सुरक्षा का भी खतरा बना रहता है। सक्षम अधिकारियों द्वारा समय–समय पर समस्याओं की सुनवाई एवं निवारण पर ध्यान अपेक्षित है।
9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जाँच कर ही जॉबकार्ड का वितरण किया जाना चाहिए जिससे वंचितों का न सिर्फ कल्याण हो बल्कि जमीनी स्तर र कार्य भी हो सके।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम ने वर्तमान आधुनिक समाज के बराबरी के लक्ष्य की प्राप्ति में भारतीय ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। लेकिन अध्ययन क्षेत्र के शोध कार्य में यह तत्व भी सामने आया है कि ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में अनेक बाधाएँ भी हैं जिनका सम्यक निवारण किया जाना भी आवश्यक है। बिना बाधाओं के निवारण के हम ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण के उज्जवल भविष्य का दर्शन कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। अतः आवश्यक है कि केन्द्र व राज्यों को शोधार्थिनी के शोध निष्कर्षों के अनुरूप दिए गए सुझावों को अनुपालन करते हुए ग्रामीण वंचित मनरेगा महिला कर्मियों के सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं का निवारण कर उनके सशक्तिकरण के मार्ग पर को प्रशस्त किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रंथ एवं पत्र पत्रिकाएं–

1. नेहरू, जवाहरलाल द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिल्ली ऑक्सफोर्ड।
2. वेत्ताई, आंद्रे सोशल इनिक्वालिटी इंग्लैंड पेंगुइन।

3. श्रीवास्तव, राजेश ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण – आगे की राह, कुरुक्षेत्र, जनवरी, वर्ष 64 अंक 3, पृ0–5
4. बस्ती 2014 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बस्ती, पृ0–7
5. भारत की जनगणना 2011, जनपद–बस्ती, पृ0–67
6. श्रीनिवास, एम0एन0 2002 द चेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन वूमेन नई दिल्ली हिन्दुस्तान पब्लिकेशन।
7. शर्मा, महेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2008.
8. आहूजा, राम सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां रावत पब्लिकेशन।
9. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 1 2006 से 2012
10. मनरेगा समीक्षा 2 2012 से 2014
11. मनरेगा समीक्षा 3.
12. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23.
13. दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान, जनसत्ता।
14. मासिक पत्रिका योजना एवं कुरुक्षेत्र।

15- Website :- www.nrega.nic.in